

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) consisting of:—**

1. Special Director General Quality Assurance, —Chairman
Ministry of Defence
2. Deputy Director General (Administration), —Member
Headquarters, Directorate General of Quality
Assurance, Ministry of Defence
3. Director (Personnel), Headquarters, —Member
Directorate General of Quality Assurance,
Ministry of Defence

Consultation with Union Public Service Commission
not necessary.

[F. No. 85866/DGQA/Adm-6B/2682/D(QA)/2013]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना इंजीनियर सेवा (तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक इसका संबंध तकनीकी अधिकारी के पद से है और सेना इंजीनियर सेवा (मुख्य नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1995 को इन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सेना इंजीनियर सेवा में तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा (तकनीकी अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन और वेतन बैंड/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी	*325 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)	

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा नक्शानवीस जिसने श्रेणी (तत्कालीन नक्शानवीस श्रेणी 1 और नक्शानवीस श्रेणी 2 के पदों पर दी गई सम्मिलित नियमित सेवा को शामिल करते हुए) में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। और उन्नत आटो-कैड पर दो सप्ताह का न्यूनतम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पुनरीक्षित वेतन विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमान में की गई सेवा समाप्त की जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. महानिदेशक (कार्मिक), मुख्य इंजीनियर की शाखा —अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक (कार्मिक), मुख्य इंजीनियर की शाखा —सदस्य
3. अवर सचिव, रक्षा (नियुक्ति), रक्षा मंत्रालय —सदस्य

[सं. पी.सी.-1/76028/टी.ओ./आर.आर.एस./सीएससीसी/717/र.(नि.)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

388 GI/13-5

New Delhi, the 5th February, 2013

S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Technical Officer), Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Technical Officer and Military Engineers (Chief Draughtsman), Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the Ministry of Defence, Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Defence, Military Engineer Services (Technical Officer) Group 'B' post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Grade Pay and Pay Band/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection posts	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer	325* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percent of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)	(11)
By promotion	<p>Promotion : Draughtsman in Pay Band-2 Rs. 9300—34800, Grade Pay Rs. 4200 with five years regular service in the grade (including the combined regular service rendered in the posts of erstwhile Draughtsman Grade-I and Draughtsman Grade-II) rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completing minimum two weeks training on advanced Auto Cad.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay said/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation and promotion) :—</p> <p>(i) Director General (Personnel), —Chairman Engineer-in-Chief's Branch</p> <p>(ii) Deputy Director General (Personnel), —Member Engineer-in-Chief's Branch</p> <p>(iii) Under Secretary, Defence (Appointments), —Member Ministry of Defence</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. PC-1/76028/TO/RRs/CSCC/717/D (Appts.)]
DALPAT SINGH, Under Secy.